

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक २०/०६/२०१७

क्रमांक एफ १०-५/२०१६/१६ :- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना अधिसूचना क्रमांक एफ १०-५/२०१६/१६ नया रायपुर, दिनांक २०.१२.२०१६ में योजना के प्रावधान में निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है:-

“योजना का प्रावधान - छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा रुपये ३०,०००/- अनुदान दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रथम बार ०६ से ०८ माह में बैटरी खराब होने पर रुपये २०,०००/- अनुदान दिया जावेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(याकुब खैरुल्लाह)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ १०-५/२०१७/१६

नया रायपुर, दिनांक २०/०६/२०१७

प्रतिलिपि :-

१. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)
२. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)
३. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ०ग०)
४. नोडल अधिकारी, छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ०ग०)।
५. कलेक्टर जिला- (छ०ग०)।
६. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ०ग०)
७. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ०ग०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी १०० प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

८. गार्ड फाईल।

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग